



पत्रांक: 967/मा०सं०एवंप्र०वि०/पिटकुल/ई०आर०-2/6/पी-६

दिनांक: 20.07.2010

## नोटिस

समस्त कर्मचारियों/अधिकारियों एवं सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पॉवर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड के वाद संख्या-297 वर्ष 2010 के सम्बन्ध में माननीय सिविल न्यायाधीश वरिष्ठ वर्ग देहरादून ने अपने दिनांक 20.07.2010 के आदेशानुसार पिटकुल मुख्यालय के सभी कार्यालयों की सीमा से 200 मीटर की परिधि में किसी प्रकार की कोई हड़ताल, वाहन के प्रवेश करने पर, कर्मचारियों को रोकने के लिए तथा तोड़फोड़ करने, हिंसा करने, नारेबाजी करने, हिंसात्मक कार्य, घेराव आदि करने से न्यायालय द्वारा निषिद्ध कर दिया है। इन आदेशों का उल्लंघन होने पर न्यायालय की अवमानता का वाद विभाग की ओर से योजित किया जायेगा।

## सूची सम्पत्ति

- (i) मुख्यालय, पॉवर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड स्थित 7-बी, लेन नम्बर-1, वसन्त विहार इन्क्लेव, देहरादून, उत्तराखण्ड।
- (ii) मुख्य महाप्रबन्धक कार्यालय, पॉवर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड स्थित 650 कांवली रोड, देहरादून, उत्तराखण्ड।
- (iii) 132 के०वी० उपकेन्द्र, पॉवर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड स्थित माजरा परिसर, देहरादून, उत्तराखण्ड।

निदेशक (मा०सं०)

पत्रांक: 967/मा०सं०एवंप्र०वि०/पिटकुल/ई०आर०-2/6 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, पॉवर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि०, देहरादून।
2. निदेशक (वित्त), पॉवर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि०, देहरादून।
3. अधिशासी निदेशक (परियोजनाएं), पॉवर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि०, देहरादून।
4. मुख्य महाप्रबन्धक (परि०एवं०अनु०), पॉवर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि०, देहरादून।
5. समस्त महाप्रबन्धक/उपमहाप्रबन्धक, पॉवर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि०, .....
6. समस्त अधिशासी अभियन्ता, पॉवर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि०, .....
7. अधिशासी अभियन्ता (सूचना प्रौद्योगिकी), पॉवर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि०, देहरादून को उक्त नोटिस को विभागीय वेबसाइट में अपलोड करने हेतु प्रेषित।
8. सम्बन्धित पत्रावली/कट फाईल।

(एस०के० शर्मा)  
महाप्रबन्धक (मा०सं०)